हरिभूमि

epaper.haribhoomi.com
Raipur Main - 07 Aug 2025 - J 2

एनआरआई कोटा खत्म करने के खिलाफ दायर याचिका खारिज

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं शारीरिक उपचारात्मक प्रवेश नियम 2025 में एनआरआई कोटा समाप्त करने पेश याचिका को जनहित के बजाय व्यक्तिगत होने के कारण खारिज करते हुए जमा अमानत राशि जब्त करने का निर्देश दिया है। रायपुर निवासी समाज सेवी ने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राजपत्र में अधिसूचित मेडिकल प्रवेश नियम 2025 के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका पेश की थी। नियम में एनआरआई कोटा रखे जाने को असंवैधिनक घोषित करने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि उनके परिवार व रिश्तेदार के बच्चे चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं शारीरिक उपचारात्मक में प्रवेश लेन नीट परीक्षा दे रहें। इसके कोटा निर्धारित किए जाने से इन बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। प्रवेश नीट के आधार पर दिए जाने का आदेश देने की मांग की गई थी।